भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 819

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

पॉक्सो नियम

819. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पॉक्सो नियमों (2020) की धारा 3(2) के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर सूचना के प्रसार के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित और व्यय की गई;

(ख) पॉक्सो नियमों(2020) की धारा 3(3) के अंतर्गत जनजागरुकता पैदा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इसमें केंद्र-राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी कितनी है;

(ग) पॉक्सो नियमों की धारा 3(6) के अंतर्गत बच्चों के संपर्क में आने वाले कार्मिकों के प्रशिक्षण, प्रबोधन कार्यक्रमों और संवेदीकरण कार्यशालाओं पर केंद्र सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया है; और

(घ) उक्त नियम की धारा 3(6) के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की संख्या का ब्यौरा क्या है और व्यवसाय-वार प्रतिभागियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-44 के अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को पॉक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए अधिदेशित किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पॉक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए एनसीपीसीआर को निधि जारी करता है।

पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 43 में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करने के सभी उपाय करेगी। इसके अनुसार सरकार ने समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है, ताकि संबंधित हितधारकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, परामर्श, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके:

1. पॉक्सो अधिनियम पर एक लघु वीडियो क्लिप तैयार किया गया और उसे टीवी पर प्रसारित किया गया। इस वीडियो क्लिप को सिनेमा हॉल में 840 स्क्रीनों पर भी दिखाया गया। 45 सेकंड के ऑडियो स्पॉट को एफएम स्टेशनों पर प्रसारित किया गया। आउटडोर प्रचार भी किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर समाचार पत्रों में दिनांक 08.03.2020, 15.03.2020 और 22.03.2020 को प्रिंट अभियान चलाया गया। पॉक्सो अधिनियम के बारे में यह जागरूकता अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2020 में चलाया था।

2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने बच्चों को सुरक्षा/शिकायत के संभावित तरीकों के बारे में जानकारी से लैस करने के लिए कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक की सभी पाठ्यक्रम पुस्तकों के सामने के कवर के पीछे चाइल्डलाइन (1098) - बच्चों के लिए 24x7 हेल्पलाइन और पॉक्सो ई-बॉक्स के बारे में जानकारी प्रकाशित की है।

3. इसके अलावा, मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत निम्नलिखित क्षेत्रीय सम्मेलन और संवेदीकरण/प्रसार कार्यशालाएँ आयोजित की हैं:

i. **क्षेत्रीय सम्मेलन:** कुपोषण संबंधी समस्याओं के समाधान तथा मिशन वात्सल्य योजना सहित महिलाओं और बच्चों के विकास, सशक्तीकरण एवं संरक्षण के लिए कार्यनीतिक क्रियाकलाप पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करना।

ii. **प्रसार कार्यशालाएं:** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और इसके तहत नियम, दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 तथा मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों पर 17.08.2022 और 29.08.2022 को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों, पुलिस के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी)/किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के सदस्यों सहित बाल संरक्षण पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ राष्ट्रीय प्रसार कार्यशाला आयोजित की गई।

iii. **कार्यशालाएं**: दिनांक 16.11.2022 और 14.09.2023 तथा 15.09.2023 को श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सहयोग से मिशन वात्सल्य योजना सहित बाल अधिकार और संरक्षण पर पंचायती राज प्रतिनिधियों (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पुलिस के लिए संवेदीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कार्यशालाएं आयजित की गईं। इन कार्यशालाओं में मंत्रालय, एनसीपीसीआर, संघ राज्य क्षेत्र जम्म्ाू एवं कश्मीर, प्रशासनिक और पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, जिला बाल संरक्षण अधिकारियों (सीसीपीओ), सीडब्ल्यूसी, जेजबी, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (एसजेपीयू), यूनिसेफ के प्रतिनिधियों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों के ने भाग लिया।

iv. **वत्सल भारत:** मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों सहित बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर 02.07.2023 से 18.08.2023 तक दिल्ली, भोपाल, मुंबई, रांची, गुवाहाटी और वाराणसी में क्षेत्रीय संगोष्ठियां आयोजित की गईं। क्षेत्रीय संगोष्ठियों में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के सदस्यों, ग्राम बाल संरक्षण समिति (वीसीपीसी) के सदस्यों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन संगोष्ठियों में कुल 9500 सदस्यों ने भाग लिया।

v. मंत्रालय द्वारा उपयोगकर्ता/हितधारकों द्वारा मिशन वात्सल्य पोर्टल के उपयोग में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) में 22.03.2023 से 24.03.2023 तक **तीन दिवसीय परामर्श** का आयोजन किया गया।

vi. मंत्रालय द्वारा 15.11.2023 को पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) के लिए मिशन वात्सल्य पोर्टल के संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख मॉड्यूल पर एक वर्चुअल तकनीकी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।

vii. निपसिड (एनआईपीसीसीडी) ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पॉक्सो नियमों की धारा 3(6) के अंतर्गत 52 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इनमें 2779 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों में केंद्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य, रेलवे, बैंकों और अन्य सार्वजनिक सेवा उपक्रमों (पीएसयू) के सरकारी अधिकारी, महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पदाधिकारी, स्कूल शिक्षक तथा कर्मचारी, विश्वविद्यालयों के शिक्षक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चे, मिशन वात्सल्य के पदाधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, पुलिस और न्यायपालिका जैसी कानून प्रवर्तन

एजेंसियों, चिकित्सा पेशेवर, बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य और विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों के समन्वयक शामिल थे।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जागरूकता हेतु जारी कुल निधियों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

पॉक्सो नियम के संबंध मे सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा 26.07.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 819 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित अनुलग्नक जिसमें पिछले तीन वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जारी निधि की राज्य%वार स्थिति दर्शाई गई है।

(रुपये लाख में)

वित्तीय वर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
कुल जारी निधि	**63546.23**	**88476.04**	**134168.11**

*****